

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :- 181/2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

महादेव तिडु

- विक्रेता

सीमा पुर्ती

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
21.10.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक महादेव तिडु पिता सामु मुण्डा ग्राम-कुंजला, पोस्ट-बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने सीमा पुर्ती पति रंजीत पुर्ती ग्राम-पाण्डु, पोस्ट-बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="304 734 1444 824"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कुंजला</td> <td>249</td> <td>35</td> <td>149</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0409948507 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 1215 (ii)/रा० दिनांक 19.10.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं०-1143 दिनांक 08.10.18 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम विजरा मुण्डा वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार महादेव तिडु के नाम भूमि का रकबा 0.25 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 0.25 एकड़ भूमि के आलावा अन्य मौजा कुंजला के खाता सं० 30 में रकबा 4.98 एकड़ भूमि कुल रकबा 5.23 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 16414.00(सोलह हजार चार सौ चौदह) रू० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 5.18 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण महादेव तिडु पिता सामु मुण्डा को सीमा पुर्ती पति रंजीत पुर्ती के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं० 35 खेसरा संख्या 149 कुल रकबा 0.05 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 16414.00(सोलह हजार चार सौ चौदह) रू० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	कुंजला	249	35	149	0.05	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
कुंजला	249	35	149	0.05								